न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
10/2013	04.1.2013	30.3.2026

लैण्ड होल्डर तहसीलदार, गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. धनराज पुत्र परमा, जोगी निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
2. शिवचरण, रामफल, रामलाल पुत्र गिरधारी, बैरवा निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
3. छोटे पुत्र विशन्या, बैरवा निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
4. पूरण पुत्र छोटे, बैरवा निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
5. हरिमोहन, भरती पुत्रान लोहच्या, बैरवा निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
6. रामरूप, प्रकाश पुत्र गणेश, बैरवा निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
7. किल्याणी बेबा लोहडच्या, बैरवा निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी

——प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 आर.टी. एक्ट

उपस्थित :— राजकीय पैरोकार।

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम टोकसी स्थित आराजी भूमि ख0न0 1823 रकबा 0.06 है0 एवं ख0न0 2026/1828 रकबा 0.19 है0 मुताबिक जमाबंदी संवत 2067—2070 मे धनराज पुत्र परमा, जोगी की खातेदारी मे दर्ज है। मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट उक्त आराजीयात मे प्रतिवादीगण ने बिना किसी सक्षम स्वीकृति के मकानात का निर्माण कर लिया है। ग्राम टोकसी स्थित भूमि ख0न0 1823 रकबा 0.06 है0 एवं ख0न0 2026/1828 रकबा 0.19 है0 कृषि भूमि है, जिसमे प्रतिवादीगण द्वारा बिना कोई भू संपरिवर्तन कराये आबादी का निर्माण कार्य करने के कारण यह कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विपरीत है। इस कारण यह भूमि सिवायचक घोषित किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ख0न0 1823 रकबा 0.06 है0 एवं ख0न0 2026/1828 रकबा 0.19 है0 ग्राम टोकसी को कब्जा राज मे लिया जावे एवं प्रतिवादीगण को भूमि से बेदखल किया जाकर भूमि को सिवायचक किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.04.16 17:07:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के अलावा अन्य प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि प्रतिवादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का किसी को भी बेचान नही किया गया है और ना ही खातेदारी शर्तो का उल्लघंन किया है। प्रार्थी ने केवल अपनी भूमि विकास के लिए कृषि यंत्र को रखने के लिए तथा जानवर इत्यादि को बॉधने के लिए पाटोर पोश व एक बाडा बनाया है। जिससे प्रार्थी ने भूमि खातेदारी की शर्तो का कोई उल्लघन नही किया है। प्रार्थी के खिलाफ धारा 177 आरटीएक्ट का जो दावा पेश किया है वह नितान्त गलत है तथा निरस्त होने योग्य है।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबंदी संवत 2067 से 2070 खाता संख्या 156 ग्राम टोकसी प्रस्तुत किये है तथा बयान स्वयं वादी तहसीलदार गंगापुर सिटी के कराये है।

बहस राजकीय पेरोकार सुनी गई।

राजकीय पैरोकार ने अपनी बहस मे कहा है कि खातेदारी भूमि पर बिना सक्षम स्वीकृति के आबादी हेतु मकानात का निर्माण कार्य किया गया है। इसलिए भूमि को सिवायचक किया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि ख0न0 1823 रकबा 0.06 है0 एवं ख0न0 2026/1828 रकबा 0.19 है0 [illegible] बिना सक्षम स्वीकृति के आबादी हेतु मकान वगैरा का निर्माण कार्य किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अवैधानिक [illegible] फलस्वरूप भूमि ख0न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.04.16 17:07:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

1823 रकबा 0.06 है0 एवं ख0न0 2026/1828 रकबा 0.19 है0 ग्राम टोकसी को सिवायचक किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वादी स्वीकार किया जाकर भूमि ख0न0 1823 रकबा 0.06 है0 एवं ख0न0 2026/1828 रकबा 0.19 है0 ग्राम टोकसी को सिवायचक किये जाने के आदेश दिए जाते है। पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को पत्र जारी किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.3.26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.04.16 17:07:21 IST
Reason: SelfAttested

Judi/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

लैण्ड होल्डर तहसीलदार, गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. धनराज पुत्र परमा, जोगी निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
2. शिवचरण, रामफल, रामलाल पुत्र गिरधारी, बैरवा निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
3. छोटे पुत्र विशन्या, बैरवा निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
4. पूरण पुत्र छोटे, बैरवा निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
5. हरिमोहन, भरती पुत्रान लोहच्या, बैरवा निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
6. रामरूप, प्रकाश पुत्र गणेश, बैरवा निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
7. किल्याणी बेबा लोहडच्या, बैरवा निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी

——प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नं. —07/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी राजकीय पैरोकार मिनजानिब मुद्दई .... मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वादी स्वीकार किया जाकर भूमि ख0न0 1823 रकबा 0.06 है0 एवं ख0न0 2026/1828 रकबा 0.19 है0 ग्राम टोकसी को सिवायचक किये जाने के आदेश दिए जाते है। पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को पत्र जारी किया जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.3.26 को जारी किया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.04.16 17:07:21 IST
Reason: SelfAttested